

भाकृअनुप-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Statistics Research Institute
 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)
Library Avenue, Pusa, New Delhi-110012
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012.

FORM 3
[See rule 54 (12)]
Details of Family

1. Name of the Government servant : _____
सरकारी कर्मचारी का नाम
2. Designation : _____
पदनाम
3. Date of birth : _____
जन्म तिथि
4. Details of the members of family as on : _____
..... को परिवार के सदस्यों का विवरण

S. No/ क्रम संख्या	Names of the members of family /परिवार के सदस्यों का विवरण	Date of birth/ जन्म तिथि	Relationship with the officer / अधिकारी के साथ सम्बंध	Marital status/ वैवाहिक स्थिति	Remarks/ टिप्पणी	Dated signature of Head of Office/ कार्यालय प्रधान के दिनांक सहित हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के एडीशन्स एवं परिवर्तन की सूचना कार्यालय प्रधान को देते हुए अपने परिवार के उपरोक्त विवरण को अद्यतित करता रहूंगा/रहूंगी।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.

Signature of Government servant

Place : _____

Date : _____

Note 1. – The original Form submitted by the Government. servant is to be retained. All additions/alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Government. servant should submit the details of family afresh along with Form 5.

सरकारी कर्मी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रपत्र रखना होगा। सभी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी / परिवर्तन को कॉलम 3 में कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर से इस प्रपत्र में दर्ज किया जाना है। मूल प्रपत्र के स्थान पर कोई नया प्रपत्र शामिल नहीं किया जायेगा। फिर भी, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी प्रपत्र 5 के साथ नये सिरे से परिवार का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

Note 2. – The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

पति/पत्नी, सभी बच्चों और माता-पिता(पारिवारिक पेंशन के पात्र है अथवा नहीं) तथा विकलांग भाई-बहनों का विवरण दिया जाए।

Note 3. – The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

कार्यालय प्रधान द्वारा "टिप्पणी" के कॉलम में परिवार में एडीशन्स अथवा परिवर्तन से सम्बंधित सूचना की प्रति की तिथि दी जाएगी। परिवार के सदस्य की वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन अथवा विकलांगता के बारे में तथ्य "टिप्पणी" के कॉलम में दर्शाया जाना चाहिये।

Note 4. - Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

पत्नि और पति में न्यायिक रूप में अलग की गई पत्नि और पति शामिल होंगे।